तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारी अहकाम जो इ हुक्म की तामी में जारी हुए
24/07/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। वकील वादी ने जवाब 07 R 11 व 151 CPC पेश किया जिसकी नकल वकील प्रार्थी/प्रतिवादी को दिलवायी गयी। जवाब प्रा० पत्र शामिल मिसल रहे। पत्रावली वास्ते बहस प्रा० पत्र 07 R 11 व 151 CPC दिनांक 08/8/24 को पेश हो। Rayendra	
08/08/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। वकील प्रतिवादी ने प्रा० पत्र 06 R 17 व 151 CPC संशोधित टाइटल 07 R 11 पेश कर निवेदन किया कि कम्प्यूटर टाइप मिस्टेक से उनवान त्रुटिवश भिन्न अंकित हो गया है जिसे सुधारा जाना न्यायोचित है। वादीपक्ष की सहमति से प्रार्थना पत्र व संशोधित टाइटल स्वीकार किया जाता है जो शामिल मिसल रहे। उभयपक्ष द्वारा 07 R 11 व 151 CPC पर बहस की गयी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए 07 R 11 व 151 CPC स्वीकार करने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी बारानी भूमि का विधिक क्रेता है और वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष वादी के पूर्वजों द्वारा निष्पादित विक्रय पत्रों (Sale deeds) के निरस्तीकरण के उपरान्त ही संभव है जिसके लिए वादी को सिविल न्यायालय में चाराजोई करनी चाहिए किन्तु वादपत्र में विक्रयपत्रों का स्पष्ट उल्लेख करने के उपरान्त केवल	

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

...रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामिल में जारी हुक्म
	शब्दों के हेर फेर करके न्यायालय हाजा में यह वाद पेश किया है जो माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण काबिल खारिज है। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र 07 R11 व 151 CPC के पक्ष में नजीर (1) 1998 RRD 321 (2) 1984 RRD 873 (3) 1989 RRD 429 (4) 1983 RRD 676 (5) 1988 RRD 610 (6) 2022(2) RRT 1175 (7) 2023(2) RRT 926 (8) 2019(3) CCC Page 160 (9) RRT 2021(2) Page 1513 पेश की जो शामिल मिसल रहे। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि वादी द्वारा सिविल न्यायालय में चाराजोई नहीं की गयी और न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार से बाहर होने व वादी को Cause of Action हासिल नहीं होने के कारण अन्तर्गत 07 R11 खारिज योग्य है। वकील वादी ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वाद हाजा में mix questions of facts and law निहित है जो तनकीहात कायम कर तय किये जाने चाहिए अतः प्रार्थना पत्र 07 R11 व 151 CPC खारिज किया जावे। वकील वादी ने निवेदन किया कि 07 R11 तय करते समय वादी के वादपत्र के अभिवचनों को ही पढ़ा जाना चाहिए व अन्य बाह्य कारक को consideration नहीं किया जाएगा। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया व प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अध्ययन किया गया। वादपत्र के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त भूमि 22.04.2009; 25.08.2010 व 13.10.2023 को जरिये रजि. विक्रय पत्र विभिन्न व्यक्तियों को अंतरित की जा चुकी है जबकि वादी द्वारा इन सब संक्रियाओं के उपरान्त यह वाद लाया गया है जो माननीय सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है क्योंकि विक्रय पत्र/deed/बैयनामा खारिजी माननीय सिविल न्यायालय द्वारा की जाती है। इस प्रकार वादी द्वारा चाहे अनुतोष इस न्यायालय द्वारा प्रदेय नहीं होने व न्यायालय हाजा के	

उपखण्ड अधिकारी
...करणसर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण	नम्बर अहकाम की तामिल
	क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण वादहाजा विधि द्वारा वर्जित है और इसे 07 R 11 के अन्तर्गत खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी द्वारा प्रस्तुत 07 R 11 व 151 CPC प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर खारिज किया जाता है। उभयपक्षकारान अपना अपना व्यय वहन करेंगे। निर्णय ~~शामिल~~ खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो हस्ब कायदा दाखिल दफ्तर हो। Rajendra उपखण्ड अधिकारी लूणकरणसर	